जारी 7/2/19

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून– 248001

Email ID- election09@gmail.com

फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2713724

सख्याः 487 /XXV–(1–7)/2008 देहरादूनः दिनाक 07 फरवरी, 2019.

सेवा में,

श्री चरण सिंह सैनी
पुत्र श्री समय सिंह सैनी
निवासी 266/31 गली नं0 4 खन्नानगर
ज्वालापुर, हरिद्वार –249407

विषयः– <u>सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना के संबंध में।</u>

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 06.02.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सन्दर्भित सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था। इस संबंध में चाही गयी सूचना (कार्यालय पत्र संख्या– 437 दिनांक 05 फरवरी, 2019 की प्रति) संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैः–

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक– उक्तानुसार</u>

भवदीय,

B.S. Rawat

(बी0एस0रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

rti 2017

पo सं0 63

Recd
7/2/19
ARO.

आवेदन–पत्र

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005(अधिनियम सं0 22/2005) के अन्तर्गत

अनुरोध कर्ता का नाम –चरणसिंह सैनी पुत्र श्री समयसिंह

अनुरोध कर्ता का पता– 266/31 गली नं0–4 खन्नानगर ज्वालापुर जिला हरिद्वार–249407

लोक सूचना अधिकारी–श्रीमान लोक सूचनाधिकारी,कार्यालय श्रीमान मुख्य निर्वाचन उत्तराखण्ड शासन देहरादून –248001।

महोदय,

आपके कार्यालय से निम्नलिखित सूचनाओ की आवश्यकता है–

1. प्रार्थी द्वारा एक शिकायती प्रार्थना–पत्र श्रीमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड शासन देहरादून को दिनांक 29–01–2019 को भेजा गया था, जिसकी छायाप्रति साथ संलग्न है। उस पर सूचना दिये जाने के दिनांक तक जो भी कार्यवाही की गयी है, उस समस्त कार्यवाही की साक्ष्यो सहित प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

दिनांक–06.02.2019

संलग्नकः–पोस्टल आर्डर मूल्य–10/–रू0

नम्बर–39F-397842

चरणसिंह सैनी

जारी 5/2/19

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, 4 सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001

फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551

फैक्स न0 (0135) – 2713552, 2713724

संख्या 437 / XXV–14 / 2018 देहरादून : दिनांक 05 फरवरी, 2019

IMPORTANT

सेवा में,

जिलाधिकारी एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
देहरादून एवं हरिद्वार।

विषयः– **लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2019, को स्वतंत्र–निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप से संचालित / सम्पादित करवाने हेतु अधिकारियों / कर्मचारियों की तैनाती / स्थानान्तरण आदि के संबंध में ।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक श्री चरण सिंह सैनी पुत्र श्री समय सिंह सैनी निवासी 266 / 31 गली नं0–4 खन्ना ज्वालापुर, हरिद्वार का शिकायती पत्र दिनांक 29 जनवरी, 2019 की (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, उक्त वर्णित शिकायती पत्र निवेदन सहित प्रेषित किये जाने के मुझे निदेश प्राप्त हुए हैं।

अतः अनुरोध है कि उक्त के सम्बन्ध में अपने स्तर से नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय

(मस्तूदास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

पृ0 संख्या– 437 / XXV-1 / 2018, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि श्री चरण सिंह सैनी पुत्र श्री समय सिंह सैनी निवासी 266 / 31 गली नं0–4 खन्ना ज्वालापुर, हरिद्वार को उनके उक्त वर्णित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

(मस्तूदास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

R/OIC

सेवा में,

श्रीमान मुख्य चुनाव अधिकारी महोदय,

उत्तराखण्ड,सचिवालय,देहरादुन-248001

महोदय,

निवेदन है कि जनपद देहरादून की तहसील सदर में तैनात एस0डी0एम0 श्री प्रत्यूष सिंह का स्थानान्तरण जनपद हरिद्वार की तहसील सदर से उत्तराखण्ड विधान सभा चुनाव 2017 में जनपद हरिद्वार में तीन वर्ष पुरे होने के कारण जनपद हरिद्वार से जनपद देहरादून में निर्वाचन आयोग की गाईड-लाईन के कारण हुआ था। श्री प्रत्युष सिंह जनपद हरिद्वार की चारो तहसील कमशः भगवानपुर, रूडकी, लकसर तथा हरिद्वार में पुरे 03 वर्ष तक वर्ष 2013 से वर्ष 2017 तक एस0डी0एम0 रहे है। तथा अन्य पदो जैसे नगर मजिस्ट्रेट, सचिव एच0आर0डी0ए0, प्रशासक मण्डी समिति आदि अनेक पदो पर रह चुके है। जनपद हरिद्वार में रहने के दौरान इनके भ्रष्टाचार के अनेक प्रकरण रहे है जिनमें खनन से लकर हर प्रकार के घोटालो की बाढ आ गयी थी। जिनमे से कुछ का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है-

<u>यहाॅ यह भी उल्लेखनीय है कि न्यायालय उपजिलाधिकारी/सहायक कलक्टर प्रथम श्रेणी,हरिद्वार</u> श्री प्रत्युष सिंह <u>के यहाॅ से ज0वि0अधि0 की धारा 229 बी, 33/39 तथा 161 व 59/61 यू0पी0टेनेन्सी एक्ट के तहत ऐसे-ऐसे वादो का निस्तारण एक-एक वर्ष में कर दिया गया था, जिनके निस्तारण में सामान्यतः कम से कम 4 से 5 वर्ष लग जाते है। लेकिन उनमे ऐसे पहिए लगे कि सरकारी जमीनो का बन्दर बाट किया गया, जैसे रेवड़िया बाटी जा रही हो। तथा अनेक ऐसे लोगो की जमीन ठिकाने लगा दी गयी जिनका आज रो-रोकर बुरा हाल है तथा अनेक सरकारी जमीन तथा सरकारी बागान ठिकाने लगा दिए कि जैसे जनपद हरिद्वार में कानुन का शासन न होकर केवल इन्ही अधिकारियो का शासन हो-</u>

1. <u>वाद सं0 15/2015 श्रीमती ललिता बनाम प्रदीप आदि धारा 229 बी0 ज0वि0अ0 मौजा सलेमपुर महदुद परगना रुड़की तहसील व जिला हरिद्वार।</u>
2. <u>वाद सं0 12/2015 मौ0 हसन बनाम शीतल प्रसाद आदि अन्तर्गत धारा 229 बी0 ज0वि0अ0 मौजा समसपुर कटेवड़ परगना नजीबाबाद तहसील व जिला हरिद्वार।</u>
3. <u>वाद सं0 02/2011 तरूण हिमालय बनाम सरकार धारा 59/61 टेनेन्सी एक्ट मौजा अहमदपुर कड़च परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार। जमीन B.H.E.L की है।</u>
4. <u>वाद सं0 12/2012 लोकपाल आदि बनाम सरकार अन्तर्गत धारा 33/39 एल0आर0 एक्ट मौजा सुल्तानपुर मजरी परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार।</u>

5. वाद सं0 13/2015 मौ0 हसन बनाम संतोष कुमार आदि अन्तर्गत धारा 229 बी0 ज0वि0अ0 मौजा समसपुर कटेवड़ परगना नजीबाबाद तहसील व जिला हरिद्वार।

6. वाद संख्या 06/2016 जमीदारी विनाश अधिनियम की धारा 229 बी ज0वि0अ0 मदनपाल बनाम सरकार मौजा व परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार। जमीन ग्राम सभा की बाग भूमि है।

7. वाद सं0 02/2011 महन्त रविन्द्र दास बनाम सरकार धारा 59/61 टेनेन्सी एक्ट मौजा बेगमपुर परगना रुड़की तहसील व जिला हरिद्वार।

8. वाद सं0 15/2015–16 श्रीमती शान्ति देवी बनाम गांव सभा अन्तर्गत धारा 161 एल0आर0एक्ट मौजा जगजीतपुर मु0 बाहर हदुद परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार।

9. वाद सं0 13/2015 मौ0 हसन बनाम संतोष कुमार आदि अन्तर्गत धारा 229 बी0 ज0वि0अ0 मौजा समसपुर कटेवड़ परगना नजीबाबाद तहसील व जिला हरिद्वार।

और विडम्बना देखिये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद भी एक भाई श्री प्रत्यूष सिंह डिप्टी कलक्टर/उपजिलाधिकारी देहरादून सदर का सदर बन गया तथा दुसरा भाई श्री मनीष कुमार सिंह डिप्टी कलक्टर/उपजिलाधिकारी हरिद्वार सदर का सदर बना रह गया। ऐसा इनके पास कौनसी कला है कि कांग्रेस के शासन में कांग्रेस के चहेते थे और अब भाजपा के चहेते बन गये है। क्या राज्य में इन लुटेरो के अलावा कोई कोई अन्य अधिकारी नही है क्या?।

प्रार्थी को विश्वस्त सुत्रो द्वारा ज्ञात हुआ है कि अब महामहिम निवर्तमान एस0डी0एम0 अपने भाई/रिश्तेदार प्रत्यूष सिंह को हरिद्वार लाने में जी–जान से लग गया है। अब दोनो रिश्ते के भाई प्रत्यूष सिंह को एस0डी0एम0 हरिद्वार बनाने के लिए पुरी ताकत के साथ,शाम–दाम–दण्ड–भेद का पुरा इस्तेमाल किया जा रहा है।

अतः आपसे प्रार्थना है कि ऐसे भ्रष्टाचारियो से हरिद्वार की जनता को इनके अत्याचार से बचाने की कृपा करे। आपकी महति कृपा होगी। प्रार्थी का शपथ–पत्र साथ संलग्न है।

दिनांक 29.01.2019

प्रार्थी

चरणसिंह सैनी पुत्र श्री समय सिंह सैनी
निवासी 266/31 गली नं04 खन्नानगर
ज्वालापुर, हरिद्वार–249407

RV674241552IN IVR:8286674241552
RL BHEL SO HARIDWAR <249403
Counter No:1,30/01/2019,13:17
India
To:CEO,HWR
PIN:248001, Dehradun GPO
From:CHARAN SING,KHANNA NAGAR
Wt:20gms
Amt:17.00(Cash)PS:5.00
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 1800 266 6868>